उत्तर प्रदेश सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

(फिल्म बन्धु)

संख्या:–205/सू0एवंज0सं0वि0(फि0बं0)–60/2020

लखनऊ :: दिनांक: 18 सितम्बर, 2020

अभिरुचि की अभिव्यक्ति(EOI)

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में नवीन फिल्म नगरी/नगरियों/फिल्म लैबोरेटरी की संभावनाओं का मूल्यांकन करने हेतु "फिल्म नीति उत्तर प्रदेश" के प्रस्तर 5.3.1.2 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रति हेक्टेअर की दर से 200 हेक्टेयर में अथवा कम से कम दो स्थानों पर 100 हेक्टेयर भूमि पर फिल्म सिटी/इन्फोटेन्मेन्ट जोन को स्थापित किये जाने हेतु एजेंसी का चयन किया जाना है।

उत्तर प्रदेश में आगरा में यू0पी0एस0आई0डी0सी0(UPSIDC) एवं एडा(YEDA), मथुरा, वाराणसी में पर्यटन विभाग एवं उन्नाव में यूपीडा(UPEDA) एवं यू0पी0एस0आई0डी0सी0 (UPSIDC) के पास उपलब्ध भूमि में फिल्म सिटी/इन्फोटेन्मेन्ट जोन की स्थापना हेतु विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। ई0ओ0आई0(EOI) प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सभी दस्तावेजों को संगठन एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्व–सत्यापित किया जाना अनिवार्य है।

आवेदनकर्ता प्रस्ताव केवल पंजीकृत/कोरियर सर्विस/स्पीड पोस्ट द्वारा अध्यक्ष, फिल्म बन्धु, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, 6 पार्क रोड़ हजरतगंज, लखनऊ–226001, पर स्वीकार किये जायेंगे। नियम एवं शर्तों की जानकारी वेबसाइट filmbandhuup.gov.in एवं information.up.nic.in पर उपलब्ध है।

(शिशिर)

सूचना निदेशक/

सदस्य सचिव, फिल्म बन्धु

अभिरुचि की अभिव्यक्ति(EOI) के नियम व शर्तें

1. एजेंसी/फर्म द्वारा सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट क्षेत्र में फिल्म सिटी/इन्फोटेन्मेन्ट जोन स्थापित किये जाने से सम्बन्धित अनुभव होना अनिवार्य है, इससे सम्बन्धित प्रोजेक्ट फीस का भी विवरण उपलब्ध कराये।
2. एजेंसी/फर्म का इस प्रकार्य अनुभव के प्रमाण के रूप में पूर्व में उनको सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं द्वारा जारी किये गये कार्यादेशों/प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
3. एजेंसी/फर्म को वित्तीय रूप से सुदृढ़ से होना चाहिए।
4. एजेंसी/फर्म का विगत 03 वर्षों में रूपये ~~60.00~~ 25 करोड़ प्रतिवर्ष का टर्न ओवर होना अनिवार्य।
5. संबंधित एजेंसी/फर्म को विगत 03 वर्षों का आई0टी0आर0 प्रस्तुत करना होगा।
6. चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा विगत 03 वर्षों की आडिटेड बैलेंसशीट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. एजेंसी/फर्म का नाम जी0एस0टी0 नम्बर तथा पैन नंम्बर उपलब्ध कराना होगा।
8. जी0एस0टी0 रिटर्न संबंधी प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. एजेंसी/फर्म द्वारा फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा।
10. फिल्म सिटी/इन्फोटेन्मेन्ट जोन स्थापित किये जाने से सम्बन्धित विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करना होगा।
11. एजेंसी को सूचना की सत्यता के सम्बन्ध मेंरू0 100/– के शपथ–पत्र पर नोटरी कराकर मूलरूप में दिया जायेगा। जिसमें यह भी उल्लेख होगा कि :–
    - उनकी एजेंसी/फर्म को विगत 05 वर्षों में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया और न ही न्यायालय द्वारा उनकी फर्म को अपराधी घोषित किया गया है।
    - एजेंसी/फर्म के विरूद्ध विगत 05 वर्षों में पुलिस केस/कोर्ट केस/सर्तकता जांच/श्रम विवाद एवं टैक्स वसूली के संबंध में दण्डित नहीं किया गया है।
    - इनकम टैक्स, जी0एस0टी0 रिटर्न जमा करने में कभी भी डिफाल्टर नहीं रहा है।
12. प्रस्तुत समस्त प्रपत्रों को अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर/स्वप्रमाणित करना अनिवार्य होगा।
13. अध्यक्ष, फिल्म बन्धु को अभिरुचि की अभिव्यक्ति(EOI) को बिना कारण बताये आंशिक या पूर्णरूप से निरस्त करने का अधिकार होगा।

(शिशिर)
सूचना निदेशक/
सदस्य सचिव, फिल्म बन्धु